

RTI/Speed Post

अवर सचिव
UNDER SECRETARY



उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/22/2013-14

26 जून, 2013

सेवा में,
श्रीमती रेनु पोपली
सीनियर मैनेजर /पी.आई.ओ. (हेडक्वार्टर)
डी टी सी बंदा बहादुर मार्ग काम्पलेक्स,
मुखर्जी नगर
नई दिल्ली-110009

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

श्री कन्हैया साह श्री हनुमान होम्योपैथिक क्लीनिक डुंडाहेडा पो. डुंडाहेडा जिला गुडगांव हरियाणा का दिनांक 26 जून 2013 का पत्र दिनांक 25 जून 2013 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने दस रूपये का पो.आ. संख्या 11F 033191 संलग्न कर आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जानकारी चाही है जोकि सीएमडी दिल्ली परिवहन को अग्रसारित किया गया था। अतः इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया आवेदन पर उचित कार्यवाही कर कृत कार्यवाही की सूचना आवेदक को देने तथा अघोहस्ताक्षरी को सूचित करने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-

श्री कन्हैया साह श्री हनुमान होम्योपैथिक क्लीनिक डुंडाहेडा पो. डुंडाहेडा जिला गुडगांव हरियाणा -कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त सी पी आई ओ से संपर्क करें।

(महिताब सिंह)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सेवा में, उप राष्ट्रपति शक्ति माला
नई दिल्ली 110011
(अमबर रोड)

दिनांक 22/6/2013



सेवा में,
श्रीमान मैनेजर साहब,
दिल्ली परिवहन निगम, राजघाट डिपो,
नई दिल्ली 110002

निम्न दिनांक 20-8-2012 बस सं० आई पी सी 3216 रूट नम्बर
729 को जब हम चढे है उस बस का सीसीटीवी एवं बस
पर चढने की समय एवं कहां स्टेण्ड से चली है कहां पर
बस रुकी है कहां पर चोर गिरोह को चढा रखा है उनका
बस का सारी रिपोर्ट और टिकट नम्बर देने की कृपा करें।

कैप्टन रूब ड्रावर का नाम रूब नाम - मोषादरुल नम्बर देने
की कृपा करें।

महाशय,
सविनय निवेदन यह है कि मैं (1) कन्हैया साह उम्र 43
साल (2) मेरी लडकी ज्ञान्ती देवी उम्र 20 साल (3) दामाद
विनोद साह उम्र 23 साल (4) मेरी नातिन 2 साल रिश्ता कुमारी
(5) प्रमोद साह उम्र 19 साल मेरा लडके है। हम सब उरा
एवं नारियल बेचने वाला उसी बस पर नारियल बेच रहा था।
मेरे नातिन को नारियल पांच रूपया का दिया था। कापसहेड़ा
एक्सिस एटीएम के पास जहां पर बस लगा रखा था। हम
लोग इतने आदमी गवाह है। आप सर मैनेजर साहब आप मेरे
को झूठा एवं चोर बदमाश साबित करते है तो मेरे को आप
दिनांक 20-8-2012 को आईपीसी 3216 को समय 11.30 बजे
सुबह जब हम लोग बस पर चढे थे उसका सारी ब्यौरा मेरे को
जो आपके ऐसी वाली बस लाल वाली में लगी है उसमें हम

(2)

निजाने आदर्श उस दिन चढे थे उसका रिपोर्ट भी देने की कृपा करें । जो मैं जनशिकायत आयोग आईटीआई में शिकायत लगा हुआ है और उसमें आगे की 22-7-2013 है आप भी मेरे को धेराव करें । आपको मैं गलत साबित होंगे तो मैं उस बस पर कुछ भी कार्रवाई करेंगे । मैं अब हाई कोर्ट की तैयारी करेंगे मैं अपने गरीबी से जो बिता रहे हैं मैं आपके बस ड्राइवर एवं कन्डक्टर को मैं बस पर कार्यवाही नहीं छोड़ेंगे । जब तक आप मेरी सोने की सारी जेवर जो चोरी हुआ है जो आप नहीं देते हैं जब तक कार्यवाही करते रहेंगे । आपकी बस की चोरी की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट एवं जन शिकायत आयोग को जो सूचित किया गया है अब हम आपके ऊपर भी कार्यवाही करेंगे ।

मेरे परिवार के हाथों में काफी सामान था, जिसमें एक बड़ा सूटकेस था । इस सूटकेस में (1) चार सोने की चूड़ियां (2) एक गले का सोने का हार (3) सोने की अंगूठी (4) सोने का मांग टीका (5) एक जोड़ी सोने की कान की बाली (6) एक जोड़ी पायल जो 120 ग्राम का लगभग 3,50,000/-रूपये (तीन लाख पचास हजार रूपये केवल) की कीमत की थे सारे जेवरात था, जो मैं अपनी लडकी की शादी में दिया था जो लडकी मिलने के लिए गुडगांव मेरे घर आई थी, इन सभी जेवरातों के बिल मेरे पास रखे हुए हैं । द्वारका कोर्ट में मौका आने पर मैं उन्हें उपस्थित कर दूंगा ।

इसलिए मेरा सारा जेवर तुरन्त दिलवाया जाये । अन्यथा

आयोग में चल रही है और आगे भी

(3)

नई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही करेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी और डीटीसी बस का घेराव भी किया जायेगा जिसकी भी सारी जिम्मेदारी डीटीसी की होगी । कृपया तुरन्त ही उचित कदम उठाते हुए हमारा सारा जेवर वापस दिलायें । आपकी अति कृपा होगी ।

Kamhnaynsah
प्रार्थी,

दिल्ली

दिनांक : ११-६-२०१३

(डा० कन्हैया साह)

पुत्र श्री राजगृही साह

स्थाई पता: निवासी ए. 47, धर्म कालोनी पार्ट 2
पोस्ट कार्टरपुरी, थाना पलाम विहार
जिला गुडगांवा (हरियाणा)

क्लिनिक: श्री हनुमान होम्योपैथिक क्लिनिक
मकान नं०-1376, गांव डूंडाहेड़ा
पोस्ट डूंडाहेड़ा थाना उद्योग विहार
जिला गुडगांवा (हरियाणा) 122016
मो-9891847780

प्रतिलिपि रिमाइन्डर:

- 1) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस अध्यक्षा का कार्यालय
अर्चना डालमिया प्रभारी, 24अकबरपुर रोड, नई दिल्ली-11-
दिनांक 29-1-2013 संदर्भ क्रं०अ०कां०/वी०आई०पी०/ज०
रा००/7643/29-1-2013
- 2) कार्यालय परिपहन, विधि, न्याय एवं विधान संबंधित मामले
व चुनाव मंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, कमरा
ए-722 दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई
दिल्ली-110002 संख्या सचिव/पवियुमं/2013/115 दिनांक
3-1-2013
- 3) प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110011

(4)

दिनांक 23-1-2013 संख्या आरटीआई/212/2013 पीएमआर

- 4) आरटीआई/212/2013-पीएमआर, प्रधानमंत्री कार्यालय, जनता-4 अनुभाग ।
- 5) सहायक निजी सचिव, वित्त राज्य मंत्री (ब्यय एवं वित्तीय सेवाएं) भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिनांक 7-2-2013
- 6) प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली-110001 संख्या 3/3/2013
पीएमपी-4/11405 दिनांक 7-1-2013
- 7) प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली-110001 संख्या 3/3/2013
पीएमपी-4/11405 दिनांक 7-1-2013
- 8) आरटीआई स्पीड पोस्ट, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली-110011 फाईल संख्या बीपीएस-55/01-आरटीआई/54/2013-14 दिनांक 15-1-2013

प्रार्थी, Kanhaiyash

दिल्ली

दिनांक : 23-6-2013

(डा० कन्हैया साह)

पुत्र श्री राजगृही साह

स्थाई पता: निवासी ए-47, धर्म कालोनी पार्ट-2
पोस्ट कार्टरपुरी, थाना पालम विहार
जिला गुडगांवा (हरियाणा)

वित्तीयक: श्री रजुमान योग्योपेथिक वित्तीयक
मकान नं० 1376, गांव डूंडहेड़ा
पोस्ट डूंडहेड़ा थाना उद्योग विहार
जिला गुडगांवा (हरियाणा)-122016
मो-9891847780